राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर
प्रधानमंत्री का अभिभाषण

14 दिसम्बर, 2004
नई दिल्ली

"मुझे आज यहाँ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है । सबसे पहले तो मैं उन सभी कारपोरेर्ट कंपनियों को बंधाई देता हँ जिन्हें इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए चुना गया है । लेकिन हम इस यथापूर्व स्थिति से संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते हमें अपने ऊर्जा पैटर्न को चिरस्थायी बनाने की दिशा में और लंबी एवं दुर्लभ यात्रा तय करनी हैं और इस प्रक्रिया में , ऊर्जा संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी है । जैसा कि मैने कहा हम इस यथापूर्व स्थिति से संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते और मुझे उम्मीद है कि हम वर्ष दर वर्ष ऊर्जा संरक्षण के मामलों में उत्तरोत्तर सुधार करेंगे । मुझे बताया गया है कि यह पुरस्कार देश में ऊर्जा संरक्षण करने और उपलब्ध सीमित संसाधनों का इष्टतम और किफायती उपयोग करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए गए हैं । सीमित संसाधनों का यथोचित और किफायती उपयोग वास्तव में हमारे सर्वोच्चय राष्ट्रीय प्राथमिकता है । भारत के पास प्राकृतिक और मानव संसाधनों का प्रचुर भंडार है लेकिन तेजी से हो रहे विकास और मनुष्य की बढ़ती जरूरतों का पहले से ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर असह्य दबाव पड़ रहा है । हम पश्चमी देशों का अन्धानुकरण करके न तो संसाधन बहुल विकास प्रक्रिया अपना सकते हैं और न ही इस संबंध में संसाधन बहुल खपत की प्रवृत्ति अपना सकते हैं । मैं समझता हूँ कि इसी वजह से महात्मा गाँधी ने सादा जीवन उच्च विचार के महत्व पर बल दिया था । उच्च विचार की संकल्पना को उपलब्ध मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग के अर्थ में देखा जाए । इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध होगी । इससे निःसंदेह विकास की असीमित संभावनाएं होंगी । दूसरी ओर सादा जीवन की संकल्पना को हमें अपने प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के उचित उपयोग के अर्थ में लेना चाहिए । क्योंकि ये वास्तव में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं ।

ऊर्जा संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धति और प्रौद्योगिकी में संसाधनों के और अधिक युक्तिसंगत उपयोग की जानकारी पर बल दिया जाता है । स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक देश में अपेक्षित ऊर्जा संसाधन मुहैया कराने में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर हमें गर्व हैं । जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के बावजूद , हमारी प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में सुधार हुआ है । लेकिन हमें मध्यम आय -वर्ग वाले देशों की खपत के स्तर तक भी पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा इसलिए जब हम भारत में ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो हम प्रति व्यक्ति खपत स्तर के अपेक्षाकृत कम करने की बात करते हैं । हमें इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम वास्तव मेकं उस खपत स्तर तक पहुंच सकते हैं जो हम संसाधन संपन्ने पश्चिमी देशों में देखते हैं । वस्तुतः मानवती के हित में और इस पृथ्वी पर हमारी जीवन रक्षक प्रणाली को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों को

अपना ऊर्जा खपत स्तर बढ़ाने की बजाए उसे हमारे ऊर्जा खपत स्तर के निकट लाइनें का प्रयास करना होगा ।

मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि भारत में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने की समस्या के साथ-साथ सप्लाई की जा रही ऊर्जा की गुणता की समस्याएं भी हैं । ये दोनों देश में आगे विकास और निवेश के महत्वपूर्ण और परस्पर संबद्ध क्षेत्र हैं । सप्लाई की जाने वाली ऊर्जा की गुणता में सुधार करने से ऊर्जा सप्लाई की मात्रा में भी सुधार होगा क्योंकि इससे संसाधनों का और अधिक युक्तिसंगत उपयोग हो सकेगा । मुझे यह भी जानकारी है कि कई विकसित औद्योगिक अर्थवयवस्थाओं में विद्युत सप्लाई में बेहतर गुणता प्रबंधन से वृद्धि हुई है । उन्नत स्विचन प्रौद्योगिक उन्नत साधन और दर्शानें , विद्युत पारेषण (ट्रांसमीशन) और वितरण में बेहतर क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग और स्वचालित प्रौद्योगिकी विद्युत संरक्षण में सहायक हो सकती है ।

इस प्रकार हमारे सामने सप्लाई की जाने वाली ऊर्जा की गुणता और मात्रा दोनों में एक साथ सुधार लाने की चुनौती है । राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में सभी घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । हमारे लगभग 56.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है । कई राज्यों में यह आँकडा ग्रामीण जनसंख्या का 80 से 90 प्रतिशत तक है । जहाँ बिजली उपलब्ध है वहाँ सप्लाई प्रायः अपेक्षित स्तर से काफी कम है । इससे गुणता में सुधार लाने और सप्लाई में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारी और अपव्ययपूर्ण निजी निवेश किए जाने की आवश्यकता पड़ी है । हालांकि हम विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों का पता लगाने की कोशिश कर रहे है लेकिन फिर भी बिजली की बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है । मैं समझता हूँ कि बिजली की काफी चोरी होती है जो पकड़ में नहीं आ रही है । इसे पारेषण (ट्रांसमीशन) और वितरण में हुई हानि या ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क दी जा रही बिजली के रूप में दिखा दिया जाता है ।

मैं समझता हूँ कि वह समय आ गया है जब हम बिजली की सप्लाई की खराब स्थिति से निपटने के लिए समुचित कार्रवाई करें और देखें कि वास्तव में समस्या कहाँ हैं। समस्या की जड़ को ठीक से समझे बिना समाधान ढूँढ़ना मूर्खता होगी । मुझे डर है कि जो गलती हमने पहले की थी कहीं हम वही गलती दुहरा तो नहीं रहे हैं । पिछले दशक के अनुभव से पता चलता है कि हमने बिजली के कीमत निर्धारण और उसकी वितरण संबंधी समस्याओं का उपयुक्त समाधान किए बिना विद्युत उत्पादन में निजी निवेश को बढ़ावा देकर गलत दांव लगा दिया है । बिजली के अपव्यय की समस्या का समाधान और बिजली संरक्षण की चुनौती का सही जवाब वास्तव में उचित कीमत निर्धारण और वितरण नीति के अनुसरण में निहित है । अंतिम विश्लेषण के रूप में मितव्ययी कीमत निर्धारण संभवतः किसी परिसम्पत्ति या संसाधन का मितव्ययी और दक्षतापूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करने का सर्वोततम उपाय है ।

अतः ऊर्जा के उपयोग में सुधार लाने के उद्देश्य से सप्लाई पक्ष की नीतियों को मांग पक्ष की नीतियों को एक साथ मिलाकर देखना होगा । हमें मांग पक्ष की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल ऊर्जा के कीमत निर्धारण के संबंध में करनी है । मैं समझता हूँ कि हम ऊर्जा संरक्षण का एक मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय बिजली का उचित और मितव्ययी कीमत निर्धारण करके कर सकते है । इससे यह सुनिश्चित होगा कि संरक्षण के लिए आंतरिक प्रोत्साहन की व्यवस्था है । मैं समझता हूँ कि आय और परिसम्पतति के असमान वितरण की दृष्टि से असमान समाज में ऊर्जा कीमत निर्धारण के लिए पूर्णतया मितव्ययी मॉडल अपनाना राजनीतिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा । इसका मतलब है कि हम उपभोक्ताओं को जो भी आर्थिक सहायता दें , उसमें पारदर्शिता अवश्य होनी चाहिए और वह आर्थिक , सामाजिक और राजनीतिक आधार पर उचित होनी चाहिए । आज , हम प्रयोक्ताओं के आर्थिक और सामाजिक आधार का समुचित विश्लेषण किए बिना उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दे रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क बिजली की सप्लाई से न केवल सप्लाई की गई बिजली के अधिक उपयोग को बल्कि भूमिगत जल के अधिक उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है । हमारे देश के कई भागों में , भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है और जल के अधिक प्रयोग से गलत तरीके से फसल उगाने की पद्धति को भी बढ़ावा मिल रहा है । अतः , देवियों और सज्जनों , इन सभी समस्याओं का मूलाधार ऊर्जा का अविवेकपूर्ण ढंग से कीमत निर्धारण है । मेरे विचार से हमें विशेषज्ञों नीति निर्माताओं , सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और संबंधित नागरिकों को ऊर्जा का मितव्ययी उपयोग करने की आवश्यकता और विवेकपूर्ण् कीमत निर्धारण नीति की आवश्यकता पर राष्ट्रीय परिचर्चा को बढ़ावा देना होगा । मितव्ययी कीमत निर्धारण नीति के बिना जो भले ही सामाजिक असमानता और आय विषमता के प्रति संवेदनशील हो , ऊर्जा संरक्षण की चुनौती का ईमानदारी से सामना कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा ।

उन सभी व्यक्तियों और संगठनों का अभिवादन मैं करता हूँ जिन्होने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और इस संबंध में जागरूकता लाने अर्थात् ऊर्जा संरक्षण के परिणामों और लाभों से अवगत कराने का प्रयास किया । मैं समझता हूँ कि सरकार को उन सभी व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कार और सम्मानित करना चाहिए । साथ ही हमें ऐसी मितव्ययी विवेकपूर्ण कीमत निर्धारण नीति अपनानी चाहिए । जिसमें उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से ऊर्जा का इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण का प्रयास करने के लिए आंतरिक प्रोत्साहन की व्यवस्था हो । उद्योग और व्यापार में हमारा अनुसंधान कार्य भी अधिकतम यथा संभव ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की परम आवश्यकता के प्रति सुग्राही होना चाहिए । यह बहु मुखी दृष्टिकोण पेट्रोलियम , एल पी जी, मिट्टी के तेल, जल और बिजली सहित सभी प्रकार की ऊर्जा के कीमत निर्धारण में अपनाया जाना चाहिए ।

अंत में, मैं एक बार फिर इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि इनसे और लोग भी हमारी ऊर्जा प्रणाली में सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे ।"